

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक:-प 9( )परि/एसटीए/मु./2017/रिट पिटीशन-10324

47045 जयपुर, दिनांक:-31/10/18


अधिसूचना

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 9315-28 दिनांक 29.05.2015 के विन्दु संख्या 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निजी संचालको को राष्ट्रीयकृत मार्गों पर मंजिली गाड़ियों के परमिट स्वीकृत करने के लिए, यानों और फेरो की संख्या सीमित करने हेतु जारी की गयी समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 17226 दिनांक 02.09.2015 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:

1. अधिसूचना क्रमांक 17226 दिनांक 02.09.2015 में विद्यमान सारणी के क्रम संख्या 203 की प्रविष्टियां निम्नानुसार होगी:-

203	बीकानेर -नोखा वाया देशनोक	3	18
-----	---------------------------	---	----

राज्यपाल के आदेश से,


  
(डॉ. मनीषा अरोडा)  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प 9( )परि/एसटीए/मु./2017/रिट पिटीशन-10324

47046-49 जयपुर, दिनांक:-31/10/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक...31.10.18 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (न्याय), जयपुर।
5. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव/सदस्य, राज्य परिवहन प्राधिकार।
6. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, रा.रा.प.प. नि:जयपुर।
7. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
8. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण/सचिव राज्य परिवहन प्राधिकार/अति. सचिव राज्य परिवहन प्राधिकार
9. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी.....समस्त।
10. श्री संजय सिंघल, सिटम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाइट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
11. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव